न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा।

दाखिल खारिज वाद सं0 16/2018

रोहित कुमार बनाम भुनेश्वर साव वगै0

आदेश की क्रम एव तारीख	आदेश एव पदाधिकारी का हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
04/01/2023	आवेदक रोहित कुमार, पिता–श्री शिवनारायण प्रसाद कश्यप, साकिन–मरवाड़ी मुहल्ला, पो0–चतरा, थाना–चतरा, जिला–चतरा, अंचल–चतरा के द्वारा अंचल अधिकारी, चतरा म्यूटेशन वाद संख्या–1326/2017–18 में दिनांक–11.12.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील वाद समयावधि क्षांत करने संबंधी आवेदन के साथ अधिवक्ता के माध्यम से दायर किया गया है। तदनुसार यह वाद न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा में प्रारम्भ किया गया। उपरोक्त वाद की सुनवाई हेतु न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चतरा द्वारा संबंधित पक्षकार को मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। संबंधित पक्षकार के द्वारा संयुक्त सुलहनामा दाखिल किये है। **अपीलार्थी एवं विपक्षीगण के विज्ञ अधिवक्ताओं की ओर से संयुक्त सुलहनामा आवेदन में उल्लेखित किया गया है कि**–''यह कि अपीलार्थी ने उक्त अपील अंचल अधिकारी, चतरा के आदेश दिनांक–11.12.2017 जो दाखिल खारीज वाद संख्या–1326/2017–18 में पारित किये है उसके विरूद्ध वर्तमान अपील लाये हैं। यह कि अपीलार्थी एवं विपक्षीगण एक ही जगह के रहने वाले है तथा आपस में राजी खुशी से हित परिवार के सौजन्य से मुकदमा निम्नलिखित शर्तो पर सुलह किर लिए हैं। यह कि ग्राम–लिपदा, थाना–चतरा, जिला–चतरा के खाता संख्या–31, प्लॉट संख्या–208, रकवा–0.70 एकड़ एवं प्लॉट 209 रकवा–0.02 एकड़ कुल रकवा–0.72 एकड़ है, जो सर्वे खतियान में लालजी साव के नाम से दर्ज	

है। यह कि अपीलार्थी ने अपने दादा भगवान दास से उनका $\frac{1}{3}$ हिस्सा यानि 0.24 एकड़ जमीन, प्लॉट संख्या–208, खाता संख्या–31 में निबंधित केवाला संख्या–2430, दिनांक–18.07.2017 से खरीद किये हैं तथा उसपर उनका हक हकियत है। यह कि दोनों पक्षों ने राजी खुशी से स्वीकार किया कि कुल उपयुक्त 0.72 एकड़ जमीन दोनों पक्ष की सहमति से प्लौटिंग कर द्वितीय पक्ष के सदस्य बिक्री की बात 1,50,000/– रूपया प्रति कट्ठा की दर से बात किये है, कुछ जमीन बिक्री किये है और बाकि बिक्री करेंगे। यह कि द्वितीय पक्ष जो बिक्री करेंगे उस विक्रय पत्र पर अपीलार्थी/प्रथम पक्ष गवाह के रूप में दस्तखत करेंगे तथा द्वितीय पक्ष अपीलार्थी/प्रथम पक्ष को 50,000/– पचास हजार रूपये प्रति कट्ठा के दर से भुगतान करेंगे। यह कि कुल रकवा–0.72 एकड़ जमीन जो द्वितीय पक्ष बिक्री करेंगे उस पर सम्पूर्ण 0.72 एकड़ जमीन की बावत् प्रथम पक्ष केवाला पर गवाह एवं पहचान के रूप में दस्खत करेंगे। यह कि दोनों पक्ष इस सुलहनामा के शर्तो को पढ़ कर सुन वो समझ लिया तथा अपना–अपना हस्ताक्षर राजी–खुशी से बना दिया ताकि समय पर काम आवें। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि सुलहमाना के आधार पर वर्तमान वाद को निष्पादन करने की कृपा करें।''

उपरोक्त उभय पक्षों के द्वारा समर्पित संयुक्त आवेदन के आधार पर सुनवाई के साथ–साथ वाद/अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, चतरा को भेंजे।

वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

(लेखापित एवं संशोधित)

Digitally signed by SURENDRA ORAON
Date: 2024.07.02 01:14:18 -07:00
Location: 2409:40e4:1056:4265:8caa:c00f:a89d:a4b9

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।

ह० 04/01/2023

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
चतरा।